

माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण,

तेरहवीं विधानसभा के दशम सत्र में आपको संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और उम्मीद है कि इस सत्र में माननीय सदस्यगण द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किया जाने वाला गहन विचार-विमर्श प्रदेश की प्रगति, समृद्धि, खुशहाली और समावेशी विकास के कार्यों को और गति प्रदान करेगा।

1. मुझे हर्ष हो रहा है कि राज्य सरकार ने नये राजस्थान के निर्माण की दिशा में संकल्प के साथ बेहतरीन कार्य किया है जो चहुँ ओर छाई हुई खुशहाली और सौहार्द में दिखाई दे रहा है। सरकार ने प्रदेश में लोक कल्याण और लोक सेवा की भावना से उत्तरदायी, पारदर्शी और संवेदनशील कार्यप्रणाली की स्थापना में नये आयाम स्थापित किये हैं। प्रदेश के समग्र विकास की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई उल्लेखनीय उपलब्धियों में सबसे अच्छी बात यह है कि हर वर्ग तक लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचा कर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का सार्थक प्रयास किया गया है।
2. मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने पहली बार पन्द्रह राज्य फ्लैगशिप योजनाएं लागू कर उनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। इन योजनाओं ने आम आदमी की रोटी, दवा, आवास और शिक्षा की कठिनाइयों को हल किया है।
3. 'मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना' ने गरीब और पिछड़े वर्ग की रोटी की समस्या को हल किया है। बी.पी.एल. वर्ग के लोगों को अन्न सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर 25 किलोग्राम प्रति परिवार गेहूँ प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें राज्य के बी.पी.एल., स्टेट बी.पी.एल. तथा अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों सहित लगभग 38 लाख 83 हजार परिवारों को बेहतर प्रबंधन के साथ लाभान्वित किया जा रहा है।
4. 'मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना' के माध्यम से प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य सुरक्षा की गारण्टी की पहल की गई है। इस योजना के तहत राजकीय चिकित्सा संस्थानों में

14 हजार 737 दवा वितरण केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जिन पर सर्वाधिक उपयोग वाली दवाइयां, सर्जिकल आइटम्स की संख्या में वृद्धि की गई है। इस से जनता को स्वास्थ्य लाभ के साथ आर्थिक सम्बल मिला है। योजना की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रथम वर्ष में ही इससे 7 करोड़ 63 लाख मरीजों को निःशुल्क आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवाई गई हैं।

5. मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में सुधार लाने के लिए 'राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना' शुरू की गई, जिसके बेहतर क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया है। इससे संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 71 से बढ़कर 81 प्रतिशत हो गया है और मातृ तथा शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। 'जननी शिशु सुरक्षा योजना' की सफलता के प्रोत्साहन स्वरूप प्रदेश में 2 अक्टूबर, 2012 से 'जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सुविधा' 400 स्थानों पर उपलब्ध करवाई गई है।
6. गरीब के अपनी छत के स्वप्न को साकार करने के लिए 'मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना' सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। राज्य की इस वृहद् आवासीय योजना में 10 लाख लोगों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए हुडको से 3400 करोड़ रुपये का ऋण लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना की तर्ज पर शहरी बी.पी.एल. परिवारों के लिए 'मुख्यमंत्री शहरी बी.पी.एल. आवास' योजना को संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष एक लाख आवास बनाने का लक्ष्य है। इसी तरह शहरी क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अल्प आय वर्ग की आवासीय समस्या के समाधान के लिए 'अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी' को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। इस पॉलिसी के तहत पांच लाख आवास बनाने का लक्ष्य है।

माननीय सदस्यगण,

7. हमारी सरकार ने सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु 'राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011' लागू किया है, जिसके माध्यम से 18 सरकारी विभागों की 153 सेवायें निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। देश में

पहली बार 'राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम-2012' भी अगस्त, 2012 से लागू कर दिया गया है।

8. किसानों के हित में निर्णय लेकर 'मुख्यमंत्री ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना' लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत एक लाख रुपये तक के फसली ऋण को समय पर चुकाने पर ब्याज मुक्त रखा गया है। पशुपालकों के हित में सरकार ने पहली बार 'मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना' शुरू की है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के मार्गों को सुगम बनाने के उद्देश्य से 'राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास योजना' प्रारंभ की गई है। नगरीय क्षेत्रों में भी अपने परिधीय क्षेत्र में खातेदारों द्वारा कृषि भूमि पर बनाये गये आवासों के 500 वर्गगज क्षेत्रफल का निःशुल्क रूपान्तरण अनुमत किया गया है।
9. राज्य सरकार शिक्षा के प्रसार और स्तर को बेहतर बनाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। प्रदेश में पहली बार 'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना' प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरीयता सूची में प्रथम एक लाख विद्यार्थियों, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपये तक है, को पांच वर्ष की अवधि तक, या उच्च या तकनीकी अध्ययन जारी रखने तक जो भी पहले हो, 500 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। इसी तरह वर्ष 2012-13 में राज्य में 'राजीव गाँधी डिजिटल विद्यार्थी योजना' के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा में मेरिट के अनुसार प्रथम 10-10 हजार विद्यार्थियों तथा प्रत्येक राजकीय विद्यालयों की कक्षा 8 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार के रूप में लेपटॉप प्रदान किये जा रहे हैं।
10. राज्य सरकार प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नये अध्याय सृजित कर रही है। राज्य सरकार के प्रयासों का ही फल है कि प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान मिली है। प्रदेश की विकास योजनाओं एवं समस्याओं की समीक्षा कर आमजन को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से विकास के विविध क्षेत्रों में नई नीतियों का निरूपण कर

उन्हें जारी किया गया है, जैसे कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति, पशुधन विकास नीति, बायोमास आधारित परियोजनायें स्थापित करने की नीति, पर्यावरण नीति, ईको-टूरिज्म नीति, वन नीति, जल नीति, उद्योग एवं निवेश संवर्द्धन नीति, टाउनशिप पॉलिसी, खनिज नीति, सौर ऊर्जा नीति, वादकरण नीति, कच्ची बस्ती विकास नीति, विशेष योग्यजन के लिये नीति, बालिका नीति, युवा नीति एवं राज्य कर्मचारी आवास नीति ।

माननीय सदस्यगण,

11. राज्य में योजनागत विनियोजन में लगातार वृद्धि हो रही है । वर्ष 2012-13 की वार्षिक योजना, राजस्थान विधानसभा द्वारा, 33 हजार 141 करोड़ 35 लाख रुपये की पारित की गई । योजना आयोग द्वारा, राज्य के संसाधनों के मद्देनजर, वार्षिक योजना का आकार 33 हजार 500 करोड़ रुपये अनुमोदित किया गया है, जो अब तक स्वीकृत वार्षिक योजनाओं में सर्वाधिक है । इसके मुकाबले दिसम्बर, 2012 तक 17 हजार 379 करोड़ 43 लाख रुपये का व्यय किया गया है । वर्ष 2011-12 में बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में 90 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि अर्जित करने पर राजस्थान, अखिल भारतीय स्तर पर श्रेष्ठतम परिणामों वाले तीन राज्यों में रहा है ।
12. राज्य के सतत् विकास में स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए 'स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र' का गठन किया गया है ।
13. राज्य सरकार विद्युत उत्पादन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है । गत चार वर्षों में उत्पादन क्षमता में 4 हजार 75 मेगावाट क्षमता की वृद्धि की गई है, जिससे राज्य की स्थापित विद्युत क्षमता 10 हजार 615 मेगावाट हो गई है । वर्तमान में राज्य क्षेत्र की एक हजार 860 मेगावाट क्षमता की उत्पादन परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है ।
14. विद्युत प्रसारण एवं वितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाया गया है, जिसके फलस्वरूप 2 हजार 492 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया है एवं 2 लाख 45 हजार 511 कृषि कनेक्शन तथा 15 लाख 72 हजार 720 ग्रामीण घरेलू कनेक्शन जारी किये गये हैं । राज्य

सरकार द्वारा पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु नई 'पवन ऊर्जा नीति-2012' जारी की गई है। 'जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन' एवं राज्य की 'सौर ऊर्जा नीति-2011' के तहत राज्य में एक हजार 185 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

15. जल संसाधन क्षेत्र में वर्ष 2012-13 में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर इंदिरा गाँधी नहर परियोजना सहित दिसम्बर, 2012 तक 446 करोड़ 37 लाख रुपये व्यय कर, 9 हजार 196 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है।
16. इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के लिये वर्ष 2012-13 में अतिरिक्त बजट सहित कुल 167 करोड़ 3 लाख रुपये स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध माह नवम्बर, 2012 तक 84 करोड़ 36 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। इंदिरा गाँधी नहर परियोजना द्वितीय चरण की लिफ्ट योजनाओं में 27 हजार 449 हैक्टेयर क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत फव्वारा सिंचाई के कार्य आरम्भ किये गये हैं।
17. नहरी क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण, सिद्धमुख-नोहर, अमरसिंह सब ब्रांच, गंग नहर परियोजना, चम्बल एवं बीसलपुर कमाण्ड क्षेत्र में कराया जा रहा है। माह नवम्बर, 2012 तक 18 करोड़ 7 लाख 37 हजार रुपये व्यय कर 7 हजार 5 हैक्टेयर क्षेत्र में खेत सुधार का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। चम्बल सिंचाई तंत्र की नहरों एवं वितरिकाओं के जीर्णोद्धार करने के लिये माह नवम्बर, 2012 तक 7 करोड़ 56 लाख 94 हजार रुपये व्यय कर 3 हजार 945 हैक्टेयर में खालों के निर्माण कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है।
18. ग्रीष्म-2012 में जल परिवहन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतम 3 हजार 903 गाँव एवं ढाणियों में 7 हजार 491 टैंकर ट्रिप प्रतिदिन एवं शहरी क्षेत्रों के 53 कस्बों एवं शहरों में 4 हजार 16 टैंकर ट्रिप प्रतिदिन जल परिवहन किया गया। जलापूर्ति सुचारु बनाये रखने की दृष्टि से शहरी क्षेत्रों में कुल 9 कस्बों एवं शहरों में एक हजार 379 टैंकर ट्रिप प्रतिदिन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 10 गाँवों एवं ढाणियों में 204 टैंकर ट्रिप प्रतिदिन

- द्वारा जल परिवहन किया जा रहा है। वर्ष 2012–13 में 26 शहरी जलप्रदाय योजनाओं के पुनर्गठन हेतु 274 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किये गये हैं।
19. राज्य में भू-जल संसाधनों के विकास एवं प्रबन्धन हेतु अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक विभाग द्वारा 257 नलकूप, 488 हैण्डपम्प एवं 01 पीजोमीटर का निर्माण किया गया। कृषकों हेतु विस्फोटक द्वारा 339 कुओं को गहरा किया गया है।
 20. राज्य में एक लाख 29 हजार 618 किलोमीटर लम्बाई में व्यापक सड़क नेटवर्क विकसित हो गया है। इस नेटवर्क में 70 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण सड़कें हैं एवं 30 प्रतिशत सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें एवं अन्य जिला सड़कें हैं। इस विद्यमान सड़क नेटवर्क को निरंतर संधारित करते हुए 33 हजार 556 किलोमीटर सड़क मार्ग का नवीनीकरण किया गया है। विकास के इस दौर को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष 16 मेगा हाईवे निर्माण अन्तर्गत 28 सड़कों के कार्य हाथ में लिये गये हैं।
 21. सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में 250 से 499 तक की आबादी के 2 हजार 719 गाँवों को सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें से एक हजार 845 गाँवों को ग्रेवल सड़कों से जोड़ दिया गया है। एक हजार 337 गाँवों को डामर सड़क से जोड़ने के लिए वर्ष 2012–13 में 832 करोड़ रुपये की लागत से 2 हजार 127 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों के निर्माण की स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं।
 22. 'महात्मा गाँधी नरेगा योजना' के बेहतर क्रियान्वयन के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा इस वर्ष 2 फरवरी, 2013 को भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति माण्डल की ग्राम पंचायत थाना को सम्मानित किया गया। महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान 43 लाख 16 हजार परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 2 हजार 710 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं।
 23. ग्रामीण क्षेत्र में आमजन को सूचना तकनीक की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आधारभूत सुविधाओं हेतु प्रथम चरण में 248 पंचायत समितियों एवं 9 हजार 62

ग्राम पंचायतों में भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 763 ग्राम पंचायत सेवा केन्द्रों में नागरिक सेवा केन्द्र, एक हजार 959 सेवा केन्द्रों में मिनी बैंक तथा 461 ग्राम पंचायतों में पोस्ट ऑफिस ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। 214 पंचायत समिति सेवा केन्द्रों से राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ कर लगभग 8 हजार 200 युवाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

माननीय सदस्यगण,

24. हम सब इस बात से गौरवान्वित हैं कि पंचायतीराज संस्थाओं के सुदृढीकरण के लिए पंचायत सशक्तीकरण एवं प्रोत्साहन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान अर्जित करने पर 24 अप्रैल, 2012 को आयोजित राष्ट्रीय पंचायत दिवस समारोह में वर्ष 2011-12 के लिए प्रशस्ति पत्र एवं एक करोड़ रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की गई है। राज्य की चूरु जिला परिषद, दो पंचायत समितियों यथा सुजानगढ़ (चूरु) व चौहटन (बाड़मेर) तथा 5 ग्राम पंचायतों को एक करोड़ 20 लाख रुपये की राशि से पुरस्कृत किया गया। कोटा, भरतपुर एवं बीकानेर में प्रत्येक स्थान पर 2-2 करोड़ रुपये की लागत से नवीन पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा 33 जिला परिषदों में कुल 22 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से 33 जन सुविधा केन्द्रों का निर्माण करवाया जा रहा है।
25. प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषदों द्वारा अब तक 34 हजार 244 तृतीय श्रेणी अध्यापकों का चयन किया जा चुका है। पंचायतीराज संस्थाओं के विभिन्न संवर्गों के 23 हजार से अधिक नवीन पद सृजित किये गये हैं। वर्ष 2012-13 में आवासीय भूखण्ड आवंटन एवं पट्टे जारी करने के अनुमानित 60 हजार के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 3 लाख 30 हजार से अधिक आवासीय भूखण्ड आवंटित कर पट्टे जारी कर ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

26. हमारे लिये गर्व की बात है कि वर्ष 2011-12 में खाद्यान्नों के उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि के फलस्वरूप राजस्थान को 15 जनवरी, 2013 को 'कृषि कर्मण प्रशंसा पुरस्कार' एवं 25 लाख रुपये की नकद राशि प्रदान की गई है।
27. कृषि विपणन व्यवस्था को नियमित बनाने हेतु किसानों को उनके निकटतम स्थान पर विपणन सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से गत 4 वर्षों में 5 नवीन स्वतंत्र मण्डी समिति तथा 10 नवीन गौणमण्डी यार्डों की स्थापना की गई है। 'कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति, 2010' के तहत कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय उद्यमों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिये गये हैं।
28. पशु चिकित्सा में संस्थागत विकास के अन्तर्गत 120 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में, 200 उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में तथा 285 उपकेन्द्रों को पशु औषधालयों में क्रमोन्नत किया गया है। 300 नवीन उपकेन्द्रों की स्थापना की गयी है। अग्रणी पशुपालकों को पुरस्कार प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 'पशुपालक सम्मान समारोह योजना' शुरू की गई है। जोधपुर में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गयी है।
29. वर्ष 2012-13 में माह जनवरी, 2013 तक दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को गत वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कुल 1311 करोड़ 20 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। वर्तमान में 4 हजार 543 महिला दुग्ध समितियों के माध्यम से 2 लाख 35 हजार से अधिक महिला सदस्यों को सम्बद्ध कर महिला सशक्तीकरण को गति प्रदान की जा रही है। दुग्ध उत्पादकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु संचालित 'सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना' के अन्तर्गत कुल एक लाख 63 हजार से अधिक दुग्ध उत्पादक बीमित हैं।
30. राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों से उन्नत किस्म का मत्स्य बीज संग्रहण किया जाकर वर्ष 2012-13 के दौरान अब तक 19 हजार मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया है। वर्ष 2011-12 के दौरान 11 हजार 675 मछुआरों का सामूहिक दुर्घटना बीमा करवाया गया। आदिवासी मछुआरों के लिए मकानों का निर्माण भी करवाया जा रहा है। मछली

पालन एवं मत्स्याखेट से राज्य के करीब 17 हजार 500 परिवारों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है।

31. महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दृष्टि से राज्य में 2 लाख 30 हजार से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। इनमें से एक लाख 90 हजार समूहों को वित्तीय संस्थाओं से 578 करोड़ रुपये के ऋण दिलवाये जा चुके हैं। स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से 'मिशन ग्राम्य शक्ति' का गठन किया गया है। स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ऋण पर देय ब्याज की 50 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। महिलाओं की सहायता और उन्हें परामर्श देने के लिए 39 पुलिस जिलों में 'महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र' स्थापित कर दिये गये हैं।
32. राज्य सरकार महिलाओं को विभिन्न प्रकार के अत्याचार और शोषण से बचाने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। कार्यस्थल पर यौन शोषण की शिकायतों के निवारण के लिए सभी विभागों, कार्यालयों व सार्वजनिक उपक्रमों आदि में शिकायत समितियों के गठन के निर्देश दिये गये हैं। राज्य महिला आयोग के तत्वावधान में 'महिला हेल्पलाइन' स्थापित की गई है। मातृ मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से राज्य के सभी राजकीय अस्पतालों में 'कलेवा योजना' संचालित की जा रही है। विभिन्न विभागों के बजट को जेण्डर आधारित बनाये जाने के ध्येय से जेण्डर प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सकें।
33. जनजातियों के उत्थान के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अब तक कुल 32 हजार 616 दावों को स्वीकार कर अधिकार पत्र वितरित किये जा चुके हैं। अनुसूचित क्षेत्र के 3 लाख 94 हजार 670 जनजाति कृषकों को गोल्डन रेज (मक्का उत्पादन) कार्यक्रम के तहत निःशुल्क खाद वितरित कर लाभान्वित किया गया है। लघु सिंचाई कार्यक्रम, डीजल पम्प सेट वितरण कार्यक्रम तथा एनीकट निर्माण कार्यों और कुओं को ब्लारिस्टिंग से गहरे कराकर जनजाति

परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। आश्रम छात्रावासों, माँ-बाड़ी केन्द्रों तथा आवासीय विद्यालयों के माध्यम से जनजाति छात्र एवं छात्राओं को शिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। दो हजार 670 जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन हेतु सहायता प्रदान की गई है।

34. सहरिया जनजाति के व्यक्तियों के पोषण स्तर को बढ़ाने एवं इनके समग्र विकास हेतु इस वर्ष 25 करोड़ रुपये की सहरिया समग्र विकास परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसके तहत पहली बार 766 युवक व युवतियों को पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हेतु 10 दिवस की विशेष कोचिंग दी गई। बारां जिले में 6 से 14 वर्ष तक के बालक व बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने एवं स्वास्थ्य जानकारी देने हेतु संचालित 284 माँ-बाड़ी केन्द्रों को माँ-बाड़ी डे-केयर सेन्टर में परिवर्तित किया गया है। साथ ही ऐसे सहराने (सहरिया बस्ती) जहाँ पर माँ-बाड़ी केन्द्र नहीं हैं, उन 40 स्थानों पर नवीन माँ-बाड़ी केन्द्र खोले गये हैं। बारां जिले में कुपोषण की समस्या को दूर करने हेतु वहाँ संचालित कुपोषण निवारण केन्द्रों में बेड की संख्या में बढ़ोत्तरी करने के साथ ही कुपोषण के स्थाई समाधान के लिये कई योजनायें स्वीकृत की गई हैं। इनके तहत समस्त सहरिया परिवारों को प्रतिमाह 2 किलोग्राम दाल, 2 किलोग्राम खाने का तेल एवं एक किलोग्राम देशी घी निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, जिस पर प्रतिवर्ष लगभग 32 करोड़ रुपये का व्यय होगा। समस्त विद्यालयों में मिड-डे-मील की मात्रा को दुगुना किया गया है तथा 44 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना के साथ 200 आँगनबाड़ी केन्द्रों पर शिशु पालना गृह की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त आँगनबाड़ी सहायिका के पद स्वीकृत किये गये हैं, जिन्हें प्रतिमाह एक हजार 815 रुपये मानदेय दिया जायेगा। प्रत्येक सहरिया बाहुल्य गाँवों में वर्तमान में कार्यरत 180 स्वास्थ्यकर्मियों के अतिरिक्त 200 नवीन स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति की जा रही है। इस पर 52 लाख 13 हजार रुपये की राशि व्यय की जायेगी। समस्त सहरिया परिवारों को, जो बारां जिले में निवासरत हैं, उन्हें 35 किलोग्राम गेहूँ निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। सहरिया परिवारों को स्वप्रेरणा से बी.पी.एल.

की श्रेणी में नामांकित करने हेतु राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं, जिससे यह बी.पी.एल. परिवारों को मिलने वाले समस्त लाभ प्राप्त कर सकें। राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य के बारां जिले में पिछड़े वर्ग की खेरवा जाति के समस्त परिवारों को भी बी.पी.एल. परिवारों को प्रदत्त समस्त सुविधायें उपलब्ध करवाई जायेंगी। समस्त सहरिया परिवारों का सघन सर्वे भारतीय प्रबन्धन संस्थान, उदयपुर द्वारा किया जाकर उनका डेटा बेस तैयार करवाया जा रहा है। इस पर 80 लाख रुपये व्यय होंगे।

35. अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों में वृद्धि हुई है। अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सभी संभागों में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास खोले जा रहे हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए अनुप्रति योजना अप्रैल, 2011 से प्रारम्भ कर दी गई है। 3 हजार 507 मदरसों का पंजीयन किया गया है तथा लगभग 5 हजार 700 शिक्षा सहयोगियों के माध्यम से करीब 2 लाख 50 हजार छात्र एवं छात्राओं को शिक्षा दी जा रही है।
36. 251 मदरसों को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत किया गया तथा 100 मदरसों को सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने की प्रक्रिया जारी है। 'मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना' प्रारम्भ की गई है। आधुनिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत राज्य के 241 मदरसों के लिए 10 करोड़ 11 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है। 2 करोड़ रुपये से हज हाऊस एवं 3 करोड़ रुपये से मदरसा बोर्ड भवन का निर्माण प्रारम्भ किया गया है। वक्फ सम्पत्तियों के विकास हेतु वक्फ विकास परिषद् का गठन किया गया है।
37. राज्य में वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजन पेंशन योजना के अन्तर्गत लगभग 14 लाख 14 हजार व्यक्तियों को मासिक पेंशन उपलब्ध करवाई जा रही है। बेसहारा व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने हेतु वर्ष 2012-13 में एक नवीन योजना 'निराश्रित सम्बल योजना' आरम्भ की गई है। राजस्थान राज्य विशेष पिछड़ा वर्ग की सूची में गडरिया (गाडरी) गायरी को जोड़ा गया है। राजस्थान राज्य विमुक्त, घुमन्तु व अर्धघुमन्तु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। 'पालनहार योजना' के अन्तर्गत

लगभग 85 हजार बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। पहली बार राजस्थान के प्रत्येक जिले में Specialized Adoption Agencies का गठन किया गया है।

38. विशेष योग्यजनों के कल्याण हेतु राज्य में पृथक से 'विशेष योग्यजन निदेशालय' की स्थापना की गई है तथा 'विशेष योग्यजन नीति' जारी की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की तर्ज पर विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए भी 'अनुप्रति योजना' लागू कर दी गई है। राज्य में 'प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2010' के अन्तर्गत लगभग 2 लाख 94 हजार विशेष योग्यजनों का चिन्हिकरण किया गया तथा शहरी क्षेत्र में लगभग 40 हजार और विशेष योग्यजनों का चयन हुआ। इन्हें आवश्यक कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए दो वर्षीय कार्ययोजना के अन्तर्गत 61 हजार 916 विशेष योग्यजनों को उपकरण द्वारा लाभान्वित किया गया है एवं अन्य स्कीमों द्वारा 87 हजार 518 और विशेष योग्यजनों को अन्य सुविधाओं (जैसे-छात्रवृत्ति, बस पास इत्यादि) से लाभान्वित किया गया है। एक हजार पात्र विशेष योग्यजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल उपलब्ध करवाई जा रही है।
39. आयुष को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं। वर्ष 2012-13 में 5 जिला मुख्यालयों पर नवीन यूनानी 'अ' श्रेणी चिकित्सालय खोले गये हैं। गत चार वर्षों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 875 पदों, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के 47 पदों व यूनानी चिकित्साधिकारियों के 34 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। जयपुर में कार्यरत आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी कार्यालयों हेतु 8 करोड़ रुपये की लागत से आयुष भवन का निर्माण प्रगति पर है। यूनानी चिकित्सा पद्धति का सरकारी क्षेत्र में जिला मुख्यालय टोंक में यूनानी मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है।
40. मुझे प्रसन्नता है कि 'साक्षर भारत अभियान' के तहत जिला अजमेर को बेहतरीन प्रयासों व उपलब्धियों हेतु विश्व साक्षरता दिवस, 8 सितम्बर, 2012 को भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है।

41. शिक्षा प्रसार की दृष्टि से वर्ष 2012–13 में अब तक 814 नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले गये, 551 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में, 280 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में तथा 237 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है ।
42. राज्य सरकार ने राज्य की सेवा करने वाले प्रतिरक्षा सेवाओं व केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों की संतानों के लिए वर्ष 2012–13 में तय की गई प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न शिक्षा संस्थानों और पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने का फैसला किया है । इस वर्ष निजी सहभागिता योजना के तहत 13 महाविद्यालयों की स्थापना हेतु स्वीकृति जारी की गई है । निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु भी इस वर्ष 112 महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं ।
43. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 7 राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों तथा 5 स्वः वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना प्रक्रियाधीन है । राजकीय महाविद्यालयों में 90 शैक्षणिक व 422 अशैक्षणिक पदों का सृजन किया गया । राजकीय महाविद्यालयों में अतिरिक्त अनुभाग खोले गये, जिससे लगभग 26 हजार विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सका । बी.एड. एवं एम.एड. शिक्षा को उच्च शिक्षा विभाग के अधीन किया गया है । 12वीं कक्षा में उच्च अंक प्राप्त विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राओं हेतु 'स्कूटी वितरण योजना' प्रारम्भ की गई है ।
44. मुझे खुशी है कि राज्य में उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान यथा आई.आई.टी. व आई.आई.एम. स्थापित किये गये हैं । युवा छात्र-छात्राओं में उद्यमिता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आई.आई.टी. जोधपुर में 'इनोवेशन एण्ड इन्क्यूबेशन सेंटर' की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में एक करोड़ 50 लाख रुपये का अंशदान दिया गया है ।
45. आई.आई.एम. के लिए उदयपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बलीचा गाँव में भूमि का चयन कर भूमि का आवंटन किया जा चुका है । अस्थाई कैम्पस में छात्रों को

- प्रवेशित किया जा चुका है। कोटा में एक आई.आई.आई.टी. (IIIT) की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 45 करोड़ रुपये का अंशदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।
46. केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत राज्य में 15 पॉलीटेक्निक महाविद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं, केन्द्र सरकार की महिला छात्रावास योजनान्तर्गत राज्य के 26 पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में छात्राओं हेतु छात्रावास का निर्माण करवाया जा रहा है। राज्य में राजस्थान व्यावसायिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण परिषद् का गठन किया गया है। बीस नये स्थानों को चिन्हित कर वहां आई.टी.आई. की स्थापना प्रक्रियाधीन है। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में घोषित 10 आई.टी.आई. प्रारम्भ करने के अतिरिक्त 5 आई.टी.आई. अलग से स्थापित किये जा रहे हैं।
47. राजस्थान का खेलकूद के क्षेत्र में स्वर्णिम उपलब्धियों तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। ओलम्पिक पदक विजेताओं को 2 करोड़ 26 लाख रुपये के नकद पुरस्कार, अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्पर्द्धाओं में पदक विजेताओं को देय राशि में 10 गुना वृद्धि की गई है। इसी तरह राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय स्पर्द्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के दैनिक भत्तों में वृद्धि के साथ ही द्वितीय बार रणजी चैम्पियन बनने पर राजस्थान क्रिकेट टीम को एक करोड़ 11 लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया है। 20 वर्ष पश्चात राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् में 58 प्रशिक्षकों व 5 खेल प्रबंधकों की नियुक्ति की गई है।
48. स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती पर राज्य स्तरीय युवा खेल महोत्सव 12 जनवरी, 2013 को सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में मनाया गया, जिसमें लगभग 40 हजार युवाओं ने भाग लिया।
49. राज्य की राजस्व व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए नवीन राजस्व इकाइयों के गठन के तहत 50 सहायक कलक्टरों के फास्ट ट्रेक न्यायालय स्थापित, 43 नवीन तहसीलों, 38 उप तहसीलों, 800 पटवार मण्डलों का सृजन किया गया तथा 137 नवीन राजस्व ग्राम बनाये गये हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया

का सरलीकरण किया गया है। राजस्व प्रक्रिया के आधुनिकीकरण के तहत ऑनलाइन जमाबंदी शुरू की गई है।

50. 'प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2013' 10 जनवरी से प्रारम्भ होकर प्रथम चरण में 20 फरवरी तक संचालित किया गया तथा द्वितीय चरण 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक संचालित होगा। उक्त अभियान में 21 विभाग अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। उक्त अभियान के दौरान ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित शिविरों में मौके पर ही राजस्व संबंधी विविध कार्यों का निस्तारण करते हुए अब तक 2 लाख 92 हजार 320 नामान्तरकरण खोले एवं तस्दीक किये जा चुके हैं, 57 हजार 941 प्रकरणों में कृषि जोतों का आपसी सहमति से विभाजन किया गया है, 3 हजार 900 प्रकरणों में जनोपयोगी प्रयोजन हेतु भूमि का आरक्षण तथा 6 हजार 508 प्रकरणों में जनोपयोगी प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत एक लाख 98 हजार 699 पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। 3 लाख 4 हजार 214 प्रकरणों में नियम 157/158 के तहत आबादी के पट्टे जारी किये गये एवं 54 हजार 246 प्रकरणों में निःशुल्क आवासीय भूखण्डों का आवंटन किया गया है। 6 लाख 38 हजार 338 मरीजों को निःशुल्क दवा वितरित की गई है। अभियान के दौरान 5 लाख 29 हजार 691 पशुओं का टीकाकरण एवं 3 लाख 51 हजार 705 पशुओं का उपचार किया गया है।
51. भूतपूर्व सैनिकों के सम्मानजनक पुनर्नियोजन हेतु हाल ही में 'राजस्थान एक्स सर्विसमेन कॉरपोरेशन लिमिटेड' का गठन कर इसे 5 करोड़ रुपये की अंशपूजी उपलब्ध करा दी गई है। राज्य सरकार द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध के नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों एवं विधवाओं की पेंशन राशि को एक हजार 200 रुपये से बढ़ाकर 3 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है, जिससे 6 हजार एक सौ पेंशनर लाभान्वित होंगे। जोधपुर में युद्ध विधवा छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र के लिए 2 हजार वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटित कर भवन निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है।

52. राज्य के 48 हजार 359 मंदिरों को वार्षिकी के रूप में देय क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त 1200 रुपये प्रतिवर्ष सहायता दिये जाने के आदेश जारी करते हुए 5 करोड़ 92 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया है। साथ ही राज्य के 10 हजार से अधिक छोटे मंदिरों व देवालयों को उनकी पूजा-अर्चना आदि के लिए दी जाने वाली अनुदान की राशि को दुगुना किया गया है और इस हेतु एक करोड़ 20 लाख 43 हजार रुपये का बजट आवंटित किया जा चुका है। राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु लगभग 5 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई है।
53. राज्य में अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय से जुड़े परिवारों को वैकल्पिक रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा आबकारी मद से प्राप्त कुल आय का एक प्रतिशत हिस्सा आरक्षित कर 'नवजीवन योजना' शुरू की गई है। इसके अलावा अवैध मदिरा की तस्करी एवं उत्पादन की प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य में 'मुखबिर प्रोत्साहन योजना' लागू की गई है।
54. राज्य में औद्योगिक विकास के सकारात्मक वातावरण हेतु औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति 2010, निवेश प्रोत्साहन योजना-2010 व राजस्थान एन्टरप्राइजेज सिंगल विण्डो एनेबलिंग एण्ड क्लीयरेंस ऑर्डिनेन्स अधिनियम-2011 को लागू किया जा चुका है, जिनके उत्साहजनक परिणाम दिखने लगे हैं। 'एकल खिड़की योजना' राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए समुचित वातावरण बनाने में मील का पत्थर साबित हुई है, जिससे राजस्थान देश के उन अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया है जहाँ औद्योगिक निवेश के लिए उद्यमी उत्साहित हो रहे हैं।
55. राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु उठाये गये सकारात्मक कदमों के परिणामस्वरूप दिसम्बर, 2012 तक उद्योग विभाग द्वारा 59 हजार 999 लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों को ज्ञापन जारी किये गये, जिसमें 91 सौ करोड़ 45 लाख रुपये का पूँजी निवेश हुआ तथा इन उद्योगों में 3 लाख 67 हजार 893 व्यक्तियों को रोजगार सुलभ हुआ है। कुशल श्रमिकों, हस्तशिल्पियों, दस्तकारों एवं प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए कम

ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 'मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना' प्रारम्भ की गई है। उच्च शिक्षा एवं अद्यतन तकनीकी के विकास हेतु जोधपुर में नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी संचालित की जा रही है। चर्म आधारित अद्यतन तकनीक तथा डिजाइन्स के अनुसार जोधपुर में 'फुटवेयर डिजाईन एवं डवलपमेंट इन्स्टीट्यूट' के भवन का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है।

56. औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार एवं विकास के संकल्प की प्राप्ति हेतु रीको के माध्यम से गत चार वर्षों में अब तक लगभग दस हजार एकड़ भूमि अवाप्त की जाकर आधारभूत सुविधा विकास पर अठारह सौ करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु रीको द्वारा चार एग्रो फूड पार्क जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर एवं अलवर में स्थापित किये गये एवं बारां जिले में औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाना प्रक्रियाधीन है। राजस्थान एक ऑटो हब के रूप में उभर रहा है। ऑटोमेटिव उद्योगों के विकास हेतु अलवर-भिवाडी-नीमराना को ऑटो क्लस्टर के रूप में व पथरेडी औद्योगिक क्षेत्र में ऑटो इंजीनियरिंग जोन बनाया गया है तथा खुशखेड़ा व टपूकड़ा में दो 'ऑटो जोन' हेतु 750 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है।
57. राज्य में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रीको द्वारा विकसित जापानी जोन में जापान विदेश व्यापार संगठन से सम्बद्ध निवेशकों द्वारा स्थापित एवं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के तहत गठित राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा अनुमोदित इकाइयों द्वारा विनिर्मित माल की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर सी-फार्म प्रस्तुत करने की शर्त पर, कर दर 2 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत की गई है।
58. खादी के विकास हेतु 'खादी एक नई पहल' योजना के तहत 13 क्लस्टर विकसित किये गये हैं। वर्ष 2011-12 में खादी बोर्ड द्वारा एक नई योजना 'लघु खादी परियोजना' के नाम से प्रारम्भ की गई है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 में 6 एकल संस्थाओं को लाभान्वित किया गया व 2012-13 में 5 एकल संस्थाओं को लाभान्वित

किया जाना प्रक्रियाधीन है। राज्य के दस्तकारी एवं लघुत्तम इकाइयों के विकास एवं रोजगार सृजन हेतु अब तक कुल 39 क्लस्टर स्थापित किये गये हैं।

59. राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दर को 1 जनवरी, 2013 से प्रभावी करते हुए बढ़ाया जाना प्रक्रियाधीन है, अकुशल कामगार की 147 रुपये से 166 रुपये, अर्द्धकुशल कामगार की 157 रुपये से 176 रुपये, कुशल कामगार की 167 रुपये से 186 रुपये तथा उच्च कुशल कामगार की 217 रुपये से बढ़कर 236 रुपये मजदूरी हो जायेगी। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल के माध्यम से निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए 11 कल्याणकारी योजनायें लागू की गई हैं। राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष असंगठित क्षेत्र के नरेगा, बीड़ी श्रमिक, निर्माण श्रमिक तथा स्ट्रीट वेन्डर्स की सामाजिक सुरक्षा की 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' को सम्भागीय मुख्यालयों में लागू कर लगभग 7 लाख 32 हजार परिवारों के स्मार्ट कार्ड बनाकर उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना को राज्य के शेष सभी जिलों में भी इस वर्ष लागू किया जा रहा है।
60. राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा वर्ष 2012-13 में विशेष दक्षता आधारित रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत 50 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शहरी बी.पी.एल. रोजगार योजना के अन्तर्गत शहरी बी.पी.एल. परिवारों के एक लाख युवाओं को प्रतिवर्ष कौशल प्रशिक्षण देकर, प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से 8 माह का सुनिश्चित रोजगार एवं स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण दिलवाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा ऋण की राशि पर ब्याज अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण युवा रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के एक लाख युवक-युवतियों को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं। सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत उपरोक्त सभी योजनाओं द्वारा 67 हजार 350 युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अब तक अनुबन्धित 37 एजेन्सियों द्वारा संचालित 169

प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से 5 हजार 308 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है तथा 6 हजार 739 युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस वर्ष 2 हजार 101 युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है।

61. खनिज उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रमुख स्थान है। प्रदेश में 79 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। वर्तमान में प्रधान खनिज के 3 हजार 30 खनन पट्टे, अप्रधान खनिज के 11 हजार 868 खनन पट्टे एवं 18 हजार 341 क्वारीलाईसेंस प्रभावशील हैं, जिससे लगभग 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है।
62. राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने की दिशा में विशेष रूप से प्रयासरत हैं। वृहद् सीमेन्ट संयंत्रों की स्थापना हेतु जैसलमेर जिले में 6 ब्लॉक्स, चित्तौड़गढ़ जिले में 2 ब्लॉक्स एवं नागौर जिले में 4 ब्लॉक्स अनारक्षित कर आवेदन पत्र प्राप्त किये गये, जिससे निकट भविष्य में 12 वृहद् सीमेन्ट संयंत्र स्थापित हो सकेंगे। आयरन और आधारित स्टील प्लान्ट की स्थापना हेतु भीलवाड़ा जिले में दो खनन पट्टे एवं करौली जिले में भी स्टील प्लान्ट की स्थापना हेतु आयरन और तथा ग्लास निर्माण हेतु सिलिका सेण्ड के खनन पट्टों के आवंटन का निर्णय लिया गया है।
63. राज्य में अवैध खनन एवं निर्गमन की प्रभावी रोकथाम हेतु सतर्कता शाखा का पुनर्गठन किया गया है। 'मिनरल प्रोटेक्शन फोर्स' के तहत एक हजार जवानों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। खान विभाग को प्राप्त रॉयल्टी की राशि का एक प्रतिशत अंशदान विभिन्न पंचायतों को स्थानान्तरित किया जाता है। इसे एक प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत कर दिया गया है।
64. बाड़मेर—सांचोर बेसिन से वर्तमान में लगभग एक लाख 75 हजार बैरल प्रतिदिन खनिज तेल का उत्पादन किया जा रहा है, जो कि देश के खनिज तेल के घरेलू उत्पादन का लगभग अट्ठारह से बीस प्रतिशत है। बाड़मेर जिले में हाइड्रोकार्बन के मूल्य संवर्धन एवं प्रशिक्षण स्थल की स्थापना हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा

रही है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट रिफाईनरी लिमिटेड के नाम से स्पेशल परपज वेहिकल (एस.पी.वी.) का गठन किया गया है।

65. राज्य सरकार द्वारा आमजन के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण एवं समस्याओं के निराकरण हेतु 'प्रशासन शहरों के संग अभियान' प्रारम्भ किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अभियान के दौरान आमजन की सहूलियत के लिए विभिन्न छूट एवं शिथिलताएँ प्रदान की गई हैं। यह अभियान राज्य के इतिहास में 'अब तक का सबसे सफलतम अभियान' सिद्ध हुआ है, जिसमें राज्य के लगभग 15 लाख शहरी नागरिक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुये हैं। अभियान के दौरान राज्य के 184 नगरीय निकायों के एक लाख 75 हजार से अधिक नागरिकों को भूमि, भूखण्ड, भवनों के स्वत्व, पट्टा व लीज डीड प्रदत्त किये गये हैं। राज्य के निकायों द्वारा स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत आवासीय इकाइयों के 25 हजार से अधिक पट्टे वितरित किये गये हैं। इसी प्रकार राज्य की निकायों में स्थित कच्ची बस्तियों के निवासियों को 25 हजार से अधिक पट्टा व स्वत्व का अधिकार प्रदान किया गया। अभियान में नगरीय निकायों के राजस्व में 500 करोड़ रुपये से अधिक की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है जिससे नगरीय निकायों के आर्थिक सुदृढीकरण के साथ ही विकास की संभावनाएँ बढ़ी हैं। शहरों में आवास की बढ़ती समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, अफोर्डेबिल हाऊसिंग पॉलिसी, स्लम डवलपमेंट पॉलिसी एवं टी.डी.आर. पॉलिसी- 2012 लागू की गई है।
66. शहरों के सुनियोजित विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी 184 निकायों के मास्टर प्लान तैयार किये जाने का निर्णय लिया जाकर अब तक 163 निकायों के मास्टर प्लान अन्तिम रूप से अधिसूचित किये गये हैं एवं 19 ड्राफ्ट मास्टर प्लान्स बनाये जाकर, उन पर आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किये जा चुके हैं।
67. राज्य की शहरी निकायों के लिए वर्ष 2012-13 के लिए निर्बन्ध राशि के तहत 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इस राशि का प्रयोग निकायों द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बाहुल्य वाली कच्ची बस्तियों में

- शौचालय, रैन-बसेरा एवं आधारभूत ढांचे के विकास एवं कम दरों पर अनुदानित भोजन उपलब्ध कराये जाने के साथ सीवरेज के विकास हेतु किया जा रहा है।
68. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2012-13 हेतु प्रस्तुत अन्तरिम रिपोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के लिए अंशदायी राजस्व को तृतीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार देय 3.5 प्रतिशत राशि को बढ़ा कर 5 प्रतिशत किया जाना अभिशंसित किया गया है।
69. राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए गंभीर है। जयपुर एवं जोधपुर में सतत परिवेशी वायु अनुश्रवण प्रबोधन केन्द्रों की स्थापना कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। राज्य के 7 शहरों यथा बांसवाड़ा, फतेहपुर शेखावाटी, श्रीगंगानगर, नाथद्वारा, बालोतरा, डीडवाना और मकराना में मल-जल के उपचार हेतु सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट्स की स्थापना हेतु स्थानीय निकाय विभाग को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा 10 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराने के आदेश जारी किये गये हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान 21 जैव विविधता प्रबन्ध समितियों का गठन किया जा चुका है।
70. राज्य को हरा भरा बनाये रखने के लिये 'हरित राजस्थान योजना' शुरू की गई थी। इस योजना के तहत वन विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2012 तक 39 हजार 871 हैक्टेयर में पौधारोपण व बीजारोपण किया गया, जिसमें 146 लाख 43 हजार पौधे रोपित किये गये हैं।
71. वन्य जीवों की संख्या एवं वन सम्पदा के संरक्षण एवं प्रबन्धन को दृष्टिगत रखते हुये 508.60 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के आशय हेतु राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया तथा मुकन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की अंतिम विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी गई है। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा गुढ़ा बिश्नोई क्षेत्र (जोधपुर), गोगेलाव एवं रोटू (नागौर), बीड़ (झुन्झुनूं), शाकम्भरी (सीकर एवं झुन्झुनूं), उम्मेदगंज (कोटा) को कन्जरवेशन रिजर्व घोषित कराया गया है।

72. राजस्थान विभिन्न लोक कलाओं, संग्रहालयों, स्मारकों एवं कला पुरासम्पदाओं से समृद्ध है। राज्य के संरक्षित स्मारकों की संख्या में वृद्धि कर इनके संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। इन बहुमूल्य धरोहरों (ऐतिहासिक स्मारकों एवं संग्रहालयों) के संरक्षण व सौन्दर्यकरण योजना में गत 4 वर्षों में 75 करोड़ 76 लाख रुपये के कार्य सम्पादित करवाये गये हैं।
73. राज्य सरकार के लगातार प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा पाला एवं शीतलहर को 13 अगस्त, 2012 को प्राकृतिक आपदाओं की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 में खरीफ एवं रबी फसल के खराब होने पर पात्र 7 लाख 78 हजार काश्तकारों को कुल 129 करोड़ 3 लाख रुपये की सहायता राशि वितरित की गई है। राज्य में सम्वत् 2069 के लिए जिलों से प्राप्त गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा 12 जिलों के 7 हजार 973 गाँवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। इन गाँवों में राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टरों की मांग अनुसार राहत गतिविधियां संचालित की जा रही है।
74. राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही 'मुख्यमंत्री ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना' के तहत वर्ष 2012-13 में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 10 हजार 594 करोड़ 92 लाख रुपये का अल्पकालीन ऋण वितरण किया जा चुका है। इस वर्ष प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से माह जनवरी, 2013 तक 192 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया जा चुका है।
75. राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में सहकारी समितियों के समग्र विकास के लिए समग्र सहकारी विकास परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक 13 जिलों में समग्र सहकारी विकास परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। वर्तमान में समग्र सहकारी विकास परियोजनाएं 20 जिलों में चल रही हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत 379 करोड़ 19 लाख रुपये है। राज्य में कुल 2 हजार 712 महिला सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है।

76. राजस्थान राज्य पेंशनर्स रियायती चिकित्सा योजना के तहत राजकीय, अनुमोदित एवं रेफरल चिकित्सालयों में विशिष्ट इलाज के व्यय के पुनर्भरण हेतु जिला कलेक्टर को अधिकृत किया जा चुका है। कैंसर एवं किडनी के रोगियों के मामलों में 50 हजार रुपये तक मेडिकल डायरी में सीमा वृद्धि करने हेतु जिला कलेक्टर्स को अधिकृत किया गया है। वर्ष 2012-13 में पेंशनर्स मेडिकल डायरी की कीमत एवं नवीनीकरण शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।
77. राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ जनता तक पहुँचाने के लिये एवं सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु जयपुर में 11-12 फरवरी, 2013 को आयोजित 16वीं राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स कान्फ्रेंस के दौरान देश के सबसे बड़े राज्यव्यापी तंत्र का उद्घाटन किया गया। इसके माध्यम से राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर 4 हजार 500 से अधिक सरकारी कार्यालय आपस में जुड़ जायेंगे तथा इससे ई-प्रशासन का विस्तार सुगम होगा। राज्य में ई-गवर्नेन्स के लाभ आम जनता तक पहुँचाने के लिये कई सफल प्रयत्न किये गये हैं। इनके परिणामस्वरूप राज्य के राजस्थान लोक सेवा आयोग के पोर्टल को राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स अवार्ड 2012-13 से पुरस्कृत किया गया है।
78. किसानों की सुविधा के लिये देश में प्रथम चरण में 34 तहसीलों में डिजिटल जमाबंदी को लागू करने की अधिसूचना जारी कर प्रत्येक सी.एस.सी. एवं ई-मित्र कियोस्क पर जमाबंदी उपलब्ध करवाना प्रारम्भ कर दिया गया है।
79. आम नागरिक को प्रदान की जाने वाली सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सी.एस.सी. एवं ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरित मूल निवास प्रमाण-पत्र, जाति एवं हैसियत प्रमाण-पत्र निःशुल्क उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।
80. राज्य सरकार की क्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु सभी सरकारी विभागों में 50 लाख रुपये एवं अधिक मूल्य के टेण्डर ई-क्रय तंत्र के माध्यम से जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब तक लगभग 56 विभागों के 23 हजार करोड़ मूल्य के 6 हजार से अधिक टेण्डर ई-क्रय तंत्र के माध्यम से जारी किये जा चुके हैं।

81. राज्य वैज्ञानिक क्रांति के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। सेटेलाइट कम्यूनीकेशन नेटवर्क (सैटकाम) के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प आय वर्ग के परिवारों के मेधावी छात्र व छात्राओं को इंजीनियरिंग एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा हेतु कोचिंग दी जा रही है। नैनो टेक्नोलॉजी सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना राजस्थान विश्वविद्यालय में की गई है। जयपुर में नेशनल कौन्सिल ऑफ साइन्स म्यूजियम्स एवं नवनिर्मित क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र का लोकार्पण कर दिया गया है तथा नवलगढ़, झुन्झुनूं में विज्ञान उद्यान की स्थापना की जा रही है। राज्य में 500 नये विज्ञान क्लबों की स्थापना की जा रही है।
82. राज्य के महत्वपूर्ण धार्मिक व दर्शनीय पर्यटक स्थलों के आस-पास के क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण एवं साइनेज के कार्य करवाने के साथ-साथ उच्च स्तर की जन सुविधाओं का विकास भी करवाया जा रहा है। वर्ष 2012-13 में फुलबारी की नाल-उदयपुर, घूमर बावड़ी-उदयपुर तथा शेरगढ़-बारां में पर्यटन के विकास कार्य करवाये जा रहे हैं, ताकि इन स्थानों को ईको-टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा सके।
83. पर्यटन को और विकसित करने के लिए जयपुर में 'द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार-2012' का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें 55 देशों के टूर ऑपरेटर्स ने भाग लिया। वर्ष 2012 में 'लोनली प्लैनेट मैगजीन अवार्ड' में राजस्थान को 'बेस्ट कल्चरल डेस्टिनेशन का अवार्ड' प्रदान किया गया।
84. राज्य की परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दृष्टि से लर्निंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं सुगम बनाया जा रहा है। कुशल वाहन चालक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से सभी संभागीय मुख्यालयों पर रीजनल ड्राईवर्स ट्रेनिंग सेन्टर एवं वाहन फिटनेस सेन्टर, पी.पी.पी. मॉडल पर स्थापित करने के लिए कोटा के अतिरिक्त सभी संभागीय मुख्यालयों पर भूमि आवंटित हो चुकी है।
85. राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं रोडसेफ्टी कौंसिल की सिफारिशों को लागू करने के लिए 10 करोड़ रुपये से 'राजस्थान सड़क सुरक्षा निधि' का गठन किया

गया है। अवैध वाहनों के संचालन, ओवरलोडिंग तथा ओवरक्राउडिंग पर नियंत्रण करने के लिए एक प्रवर्तन शाखा का गठन किया गया है। राज्य में वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी नम्बर प्लेट लगाना प्रारंभ कर दिया गया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवाओं में यात्रियों की सुविधा के लिए इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। निगम के सभी श्रेणी के वाहनों में ऑन लाइन टिकटिंग एवं आरक्षण योजना प्रारम्भ की जा चुकी है।

86. प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सन्तोषजनक रही है। महिलाओं को सुरक्षात्मक माहौल उपलब्ध करवाने के लिए तथा राज्य में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु 35 महिला पुलिस थाने कार्यरत हैं। सभी पुलिस थानों में महिला डेस्क भी कार्यरत है। भ्रूण हत्या रोकने हेतु पी.सी.पी.एन.डी.टी. ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम से एक केन्द्रीकृत पुलिस थाना राज्य स्तर पर स्थापित करने की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम हेतु 36 पुलिस जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ गठित किये गये हैं।
87. राजस्थान प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति लगभग 17 वर्ष से वरिष्ठता में विवाद के कारण नहीं हो सकी थी। अब चयन समिति की बैठक आयोजित कर 47 राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति दी गई तथा आर.ए.एस. अधिकारियों की विभिन्न वेतन श्रृंखलाओं हेतु रिब्यू डी.पी.सी. एवं डी.पी.सी. आयोजित कर 575 से अधिक पदोन्नतियां दी गई हैं। तहसीलदार से आर.ए.एस. की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में 85 अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति भी की गई है। शासन सचिवालय में मंत्रालयिक संवर्ग में 244 पदोन्नतियां दी गई। राज्य में रिब्यू डी.पी.सी. तथा डी.पी.सी. के माध्यम से शिक्षा विभाग के अध्यापकों सहित लगभग 45 हजार अधिकारियों एवं कार्मिकों को पदोन्नतियां दी गई हैं।

88. आम जनता की सुविधा हेतु 22 स्थानों पर नये पूर्णकालीन उप पंजीयक कार्यालय खोले गये हैं।
89. वर्ष 2012-13 में राज्य में विभिन्न स्तर के 120 न्यायालयों की स्थापना हेतु अधिसूचनाएं जारी की गईं तथा राज्य में संचालित 43 फास्ट ट्रेक न्यायालयों के स्थान पर 43 नियमित अपर जिला एवं सेशन न्यायालयों की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी की गई है।

माननीय सदस्यगण,

90. इस सत्र में कई विधेयकों के साथ-साथ निम्न वित्तीय एवं विधायी कार्य तथा अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयक भी विधान सभा के समक्ष विचारार्थ रखे जायेंगे:—
- I. वर्ष 2013-14 के लिए आय-व्ययक अनुमान तथा तत्संबंधी मांगों से संबंधित कार्य।
 - II. वर्ष 2012-13 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों से संबंधित कार्य।
 - III. राजस्थान निजी विश्वविद्यालय की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013।

इसके अतिरिक्त यथा समय मंत्रिमण्डल आज्ञा सहित प्रशासनिक विभागों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य विधेयकों के पुरःस्थापन संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी।

91. इस प्रकार राजस्थान में विकास और नव-निर्माण का नया दौर चल रहा है। राज्य सरकार ने विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किये अधिकांश वायदों को पूरा किया है और जो बाकी हैं, उन्हें समयबद्धता के साथ पूरा करने के लिये सतत् प्रयत्नशील है। माननीय सदस्यगणों से मेरी अपील है कि आप सब इस सदन के माध्यम से प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी दें और लोकहित में चिंतन और विमर्श कर आवश्यक नीतियों के निर्माण में सहयोग करें। जनता ने जो आशाएं और उम्मीदें इस सदन से लगा रखी हैं, उसे पूरा करने में आप सफल रहें, ऐसी मेरी कामना है।

जय हिन्द।